



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 पौष , 1943 (श०)

संख्या- 663 राँची, बुधवार,

29 दिसम्बर, 2021 (ई०)

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)

अधिसूचना

21 दिसम्बर, 2021

संख्या-07/कृ०स्था०-14/2016-2307—कृ०, अधिसूचना संख्या-820 दिनांक-10.03.2014 द्वारा अधिसूचित झारखण्ड कृषि अधीनस्थ सेवा (भर्ती एवं प्रोन्नति) नियमावली, 2013 एवं अधिसूचना संख्या-2822 दिनांक-27.07.2015 द्वारा अधिसूचित झारखण्ड कृषि अधीनस्थ सेवा (भर्ती एवं प्रोन्नति) नियमावली (संशोधन), 2015 में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग का पत्रांक-4131 दिनांक-19.08.2021 में दिये गये निदेश के आलोक में निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ :

(i) यह नियमावली “झारखण्ड कृषि अधीनस्थ सेवा (भर्ती एवं प्रोन्नति) नियमावली यथा संशोधित, 2021” कहलाएगी ।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(iii) यह नियमावली झारखण्ड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा ।

2. नियमावली की अधिसूचना संख्या-820 दिनांक-10.03.2014 के नियम-9.2 के प्रावधानों के अतिरिक्त उक्त में निम्न प्रावधान समावेशित किया जाता है :-

“उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इंटरमीडियट/10+2 कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इंटरमीडियट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा।”

3. झारखण्ड कृषि अधीनस्थ सेवा (भर्ती एवं प्रोन्नति) नियमावली, 2013 के नियम-10.4 तथा झारखण्ड कृषि अधीनस्थ सेवा (भर्ती एवं प्रोन्नति) नियमावली (संशोधन), 2015 के नियम-8, नियम-9, नियम-10 एवं नियम-11, जो चयन प्रक्रिया से संबंधित हैं, को विलोपित करते हुए निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है-

“कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अधिसूचित झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन नियमावली, 2017, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021 के प्रावधानों अथवा समय-समय पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पदों से संबंधित निर्गत होने वाले संशोधित परीक्षा संचालन नियमावली के अनुसार झारखण्ड कृषि अधीनस्थ सेवा (भर्ती एवं प्रोन्नति) नियमावली, 2013 एवं झारखण्ड कृषि अधीनस्थ सेवा (भर्ती एवं प्रोन्नति) नियमावली (संशोधन), 2015 में संदर्भित पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का संचालन किया जायेगा।

इस नियमावली के प्रावधानों का कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा अधिसूचित परीक्षा संचालन नियमावली के प्रावधानों के विरोधाभासी/प्रतिकूल होने की स्थिति में “कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा अधिसूचित परीक्षा संचालन नियमावली के प्रावधान अध्यारोही प्रभाव (Overriding effects) के साथ लागू होंगे।”

4. अधिसूचना संख्या-820 दिनांक-10.03.2014 एवं अधिसूचना संख्या-2822 दिनांक-27.07.2015 की शेष कंडिका यथावत रहेगी।
5. मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-09.12.2021 के मद संख्या-01 के रूप में प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अबुबकर सिद्दीख पी०,
सरकार के सचिव।
